

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

// कार्यालय आदेश //

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड , जयपुर द्वारा सीधी भर्ती 2016 तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/प्रयोगशाला सहायक III/सी. भ./2016 दिनांक 07.02.2018 एवं माननीय शासन उप सचिव , शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग , राजस्थान सरकार , जयपुर के आदेशांक:-प. 17(8) शिक्षा-2/2015 जयपुर , दिनांक 19.12.2017 के द्वारा नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को सौंपे जाने से निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-8 में नियत मानदेय पर प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/- अक्षरे अठराह हजार पांच सौ रुपये मात्र प्रतिमाह (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

➤ सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने के पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।


1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए. II/ 95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/-रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधित जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य के बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य के बाहर से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पायी गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे तथा अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। उनके त्रुटिपूर्ण कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी का नवनीतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात बना हुआ हो तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करवाया जावे।



6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करने जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र (फोटो) चस्पा है ।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे ।
8. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक के संदर्भ में याचिका संख्या 8555/2017,11523/2017 , 10421/2017 माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन रहते हुए की गई है ।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे ।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
11. संस्थाप्रधान आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे की TSP क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन TSP क्षेत्र के विद्यालय में ही हो ।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7 (3) कार्मिक/ क-2/06पार्ट/दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।


इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।

संलग्न: आदेश


(नरेशचन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर
दि:-12.02.2018

क्रमांक:-जिशिअ/उदय/माप्र/संस्था-1/फा-प्रशसहा/2017/ 1362
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. सचिव, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड 2016, राजस्थान जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
7. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा -----
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक -----,
9. संबंधित संस्थाप्रधान -----
10. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)


(नरेशचन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

क्रमांक:-जिशिअ/उदय/माप्र/संस्था-1/फा-प्रशसहा/2017/ 1362

दि:-12.02.2018

-- TSP --

क.स.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	13	नरेन्द्रप्रतापसिंह राठौड	महेन्द्रसिंह राठौड	GEN	12-08-1983	GENM	राउमावि जवास, खैरवाडा, उदयपुर
2	19	महेशचन्द्र जोशी	सुखलाल जोशी	GEN	25-10-1989	GENM	राउमावि सागवाडापाल, उदयपुर
3	30	भानुप्रतापसिंह चौहान	अजीतसिंह चौहान	GEN	01-06-1991	GENM	राउमावि सरु गिर्वा, उदयपुर
4	31	दशरथ सुथार	नवलचंद सुथार	GEN	10-03-1986	GENM	राउमावि झाडोल, सराडा, उदयपुर
5	35	गौरव सुथार	ख्यालीलाल सुथार	OBC	14-04-1996	GENM	राउमावि मसारो की ओबरी, ऋषभदेव, उदयपुर
6	37	चुन्नीलाल कुमावत	शंकरलाल कुमावत	OBC	15-09-1996	GENM	राउमावि चावण्ड, सराडा, उदयपुर
7	53	नितिन सुथार	सुन्दरलाल सुथार	OBC	13-05-1998	GENM	राउमावि फलासिया, उदयपुर
8	69	किमी जोशी	प्रवीण कुमार जोशी	GEN	27-02-1989	GENF	राउमावि खैरवाड, उदयपुर
9	73	दिलीप चौबीसा	केशवलाल चौबीसा	GEN	15-08-1980	GENM	राउमावि ईण्टालीखेडा सलुम्बर
10	75	कन्हैयालाल पटेल	रूपलाल पटेल	OBC	05-08-1988	GENM	राउमावि कोटडा, उदयपुर
11	76	ऋषि राठौड	भोपाल सिंह	GEN	05-10-1997	GENF	राउमावि बारापाल गिर्वा, उदयपुर
12	77	अश्विनी गर्ग	बालमुकुन्द गर्ग	OBC	07-07-1991	GENM	राउमावि बिलख, ऋषभदेव, उदयपुर
13	78	कुलदीपसिंह राणावत	फतहसिंह राणावत	GEN	17-12-1993	GENM	राउमावि खैरवाडा, उदयपुर
14	83	कीर्ति जैन	दिलीप माडावत	GEN	13-11-1995	GENF	राउमावि टीडी, गिर्वा, उदयपुर
15	100	भेराराम	शांतिलाल	ST	04-06-1997	STM	राउमावि कोटडा, उदयपुर
16	159	गणेश अहारी	कमजी अहारी	ST	15-09-1994	STM	राउमावि डैया, फ. उदयपुर
17	198	शांतिलाल मीणा	पच्चुलाल मीणा	ST	14-07-1996	STM	राउमावि कल्याणपुर, ऋषभदेव
18	211	मनीष कुमार	लक्ष्मणलाल डोडियार	ST	25-08-1995	STM	राउमावि छाणी खैरवाडा
19	214	दुर्गेश जोधा	मगनसिंह जोधा	GEN	14-11-1990	GENF	राउमावि पडूणा, गिर्वा, उदयपुर
20	224	कालुलाल परमार	मंगलाराम परमार	ST	03-09-1997	STM	राउमावि कातरवास कला खैरवाडा, उदयपुर
21	241	मनोहरलाल	रूपलाल पटेल	ST	04-04-1984	STM	राउमावि खानमीन, खैरवाडा, उदयपुर
22	256	बंटीकुमार मीणा	गोगन मीणा	ST	12-10-1991	STM	राउमावि कोजावाडा, ऋषभदेव
23	276	शंकरलाल मीणा	प्रेमचंद मीणा	ST	15-04-1991	STM	राउमावि बलुआ सेमारी, उदयपुर
24	287	नरेश कुमार मीणा	विष्णुकुमार	ST	12-10-1993	STM	राउमावि टोकर सेमारी, उदयपुर
25	290	शीला राजपूत	हीरसिंह राजपूत	OBC	23-07-1993	GENF	राउमावि केशरियाजी ऋषभदेव, उदयपुर
26	317	आरती जैन	प्रकाश जी जैन	GEN	16-11-1998	GENF	राउमावि सलुम्बर, उदयपुर
27	342	कोकिला डामोर	किकमल डामोर	ST	10-12-1994	STF	राउमावि कनबई, खैरवाडा,
28	386	प्रभुलाल मीणा	केरिंग मीणा	ST	03-11-1991	STM	राउमावि लसाडिया, उदयपुर
29	414	कमलाकुमारी मीणा	भैरूलाल मीणा	ST	13-12-1985	STF	राउमावि देवपुरा सराडा, उदयपुर
30	462	अंजना परमार	अमृतलाल परमार	ST	04-08-1989	STF	राउमावि नयागांव, खैरवाडा

(नरेशचन्द डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

// कार्यालय आदेश //

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती 2016 तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/प्रयोगशाला सहायक III/सी. भ./2016 दिनांक 07.02.2018 एवं माननीय शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेशांक:-प. 17(8) शिक्षा-2/2015 जयपुर, दिनांक 19.12.2017 के द्वारा नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को सौंपे जाने से निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-8 में नियत मानदेय पर प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/- अक्षरे अठराह हजार पांच सौ रूपये मात्र प्रतिमाह (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

➤ सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने के पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।


1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए. II/ 95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/-रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधित जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य के बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य के बाहर से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे तथा अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटिपूर्ण कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी का नवनीतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात बना हुआ हो तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करवाया जावे।



6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करने जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र (फोटो) चस्पा है ।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे ।
8. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक के संदर्भ में याचिका संख्या 8555/2017,11523/2017 , 10421/2017 माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहते हुए की गई है ।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे ।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
11. संस्थाप्रधान आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे की TSP क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन TSP क्षेत्र के विद्यालय में ही हो ।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7 (3) कार्मिक/ क-2/06पार्ट/दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।


इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।

संलग्न: आदेश


(नरेशचन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर
दि:-12.02.2018

क्रमांक:-जिशिअ/उदय/माप्र/संस्था-1/फा-प्रशसहा/2017/1361
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. सचिव, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड 2016, राजस्थान जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
7. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा _____
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक _____,
9. संबंधित संस्थाप्रधान _____
10. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)


(नरेशचन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

क्रमांक:-जिशा/उदय/माप्र/संस्था-1/फा-प्रशसहा/2017/1361

दि:-12.02.2018

-- NON TSP --

क.स.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	4	आशुतोष चारण	मानसिंह चारण	OBC	25-03-1994	GENM	राउमावि वल्लभनगर, उदयपुर
2	91	राजेश चौधरी	लिखमाराम चौधरी	OBC	30-01-1996	GENM	राउमावि सवीनाखेडा, उदयपुर
3	140	चेतन कुमार चौधरी	लिखमाराम चौधरी	OBC	13-08-1994	GENM	राउमावि गोगुन्दा, उदयपुर
4	319	निकुलकुमार मेवाडा	सुरेश कुमार मेवाडा	OBC	13-05-1993	GENM	राउमावि महाराज की खेडी, भीण्डर, उदयपुर
5	381	मंजित ढाका	अजितसिंह ढाका	OBC	01-07-1988	GENM	राउमावि घासा, मावली, उदयपुर
6	395	चंचल कुमावत	लक्ष्मीलाल कुमावत	OBC	08-04-1996	GENF	राबाउमावि जगदीशचौक, उदयपुर
7	436	अर्पितकुमार पाठक	विद्याशंकर पाठक	GEN	06-11-1988	GENM	राउमावि नउवा, मावली, उदयपुर
8	447	भव्य श्रीमाली	नटवरलाल श्रीमाली	GEN	30-10-1995	GENM	राउमावि मंदेसर, भीण्डर, उदयपुर
9	566	ममता डांगी	लालूराम डांगी	OBC	03-06-1995	GENF	राआउमावि गुडली, मावली उदयपुर
10	592	शिवपालसिंह	सुरेन्द्रसिंह	GEN	11-12-1995	GENM	राउमावि भीमल, मावली, उदयपुर
11	614	शैतान बिश्नोई	सुखराम बिश्नोई	OBC	15-11-1990	GENM	राउमावि रावलियाकला, गोगुन्दा, उदयपुर
12	637	विकलेश तिवारी	राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	GEN	20-12-1996	GENM	राउमावि कीकावास, भीण्डर, उदयपुर
13	721	हर्षवर्धनसिंह शक्तावत	प्रेमसिंह शक्तावत	GEN	08-01-1996	GENM	राउमावि वल्लभनगर, उदयपुर
14	725	माहीराम बिश्नोई	भंवरलाल बिश्नोई	OBC	07-05-1996	GENM	राउमावि खेरोदा, भीण्डर, उदयपुर
15	805	सोनिया	ओमप्रकाश	OBC	24-09-1981	GENF	राबाउमावि सेक्टर 11 उदयपुर
16	957	किशनलाल गायरी	भेरूलाल गायरी	OBC	18-08-1995	OBCM	रा.चतुर उमावि कानोड, उदयपुर
17	977	ओमप्रकाश डांगी	गोपाल डांगी	OBC	01-04-1989	OBCM	राबाउमावि भीण्डर, उदयपुर
18	1036	कमलेश कारपेंटर	रामदयाल कारपेंटर	OBC	05-08-1996	OBCM	राउमावि जावड, मावली, उदयपुर
19	1115	भेरूलाल डांगी	हेमराज डांगी	OBC	12-04-1993	OBCM	राउमावि कमोल, सायरा, उदयपुर
20	1197	मधुसुदन यादव	भगवती प्रसाद यादव	SC	15-11-1993	SCM	राबाउमावि भीण्डर, उदयपुर
21	1552	कविता	लालचंद	OBC	21-09-1997	GENF	राबाउमावि जगदीशचौक, उदयपुर
22	2378	रुबईनाज	मुस्तफा	OBC	07-10-1997	OBCF	राबाउमावि अम्बामाता, उदयपुर
23	2778	राजकुमार पारगी	रूपलाल पारगी	ST	02-12-1986	STM	राउमावि बेमला, कुराबड, उदयपुर
24	2849	कमलेश कुमार मीणा	रामचन्द्र मीणा	ST	20-04-1994	STM	राउमावि कमोल, सायरा, उदयपुर
25	2864	कुंज बिहारी मीणा	देशराज मीणा	ST	14-01-1989	STM	रा.चतुर उमावि कानोड, उदयपुर
26	3407	आशारानी	हरिनारायण	SC	12-06-1990	SCF	राउमावि बम्बोरा, उदयपुर

(नरेशचन्द डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर